निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 164 / 2020 तारीख दायरा 11.08.2020

उनवान

1. शिवराज सिंह उम्र 44 वर्ष पुत्र महिपत सिंह जाति चारण निवासी ग्राम विनोदकलां तह0 सांगोद जिला कोटा राजस्थान। – वादी

बनाम

1. प्रभूलाल पुत्र माधोलाल जाति माली निवासी ग्राम विनोदकलां तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये लेण्ड तहसीलदार सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान। – प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी. एक्ट 1955

उपस्थित :–

श्री सत्येन्द्र कुमार गुप्ता (वकील वादी) दिनांक :– 26.02.2021

––निर्णय––

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.07.01 13:44:14 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि माल ग्राम विनोदकलां पटवार हल्का विनोदखुर्द तहसील सांगोद के माल में निम्न लिखित आराजी स्थित है :–

–:: विवरण आराजी ::–

माल ग्राम	खाता सं0	खसरा नं0	रकबा हैक्टर
विनोदकलां	145	589	0.56

सेटलमैन्ट से पूर्व उक्त वर्णित आराजी के निम्न खसरा नम्बरान थे, उक्त वर्णित आराजी में से खाता सं0 नई 145 की सम्पूर्ण तथा खाता सं0 नई 274 की गै.मु.चाह में 1/4 हिस्सा माधो पुत्र सुक्खा जाति माली के सेटलमैन्ट से पूर्व उक्त वर्णित आराजी राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी, तथा सेटलमैन्ट के बाद उक्त वर्णित आराजी के निम्न खसरा नम्बरान कायम किये गये है–

पूर्व खसरा नं0	हाल खसरा नं0
324 की 3 बीघा 19 बिस्वा	589 की 0.56 हैक्टर
329 की 1 बीघा	590 0.16 हैक्टर

उक्त वर्णित आराजी वर्तमान में खाता सं0 नई 145 की प्रतिवादी प्रभूलाल के खाते दर्ज है तथा खाता सं0 नई 274 में 1/4 हिस्सा वर्तमान में भी माधो पुत्र सुक्खा के खाते दर्ज चली आ रही है जबकि माधो की मृत्यु हो जाने से उक्त वर्णित खाता सं0 नई 274 में भी माधो के स्थान पर प्रभू का नाम दर्ज किया जाना चाहिए था। उक्त वर्णित आराजी सेटलमैन्ट से पूर्व दिनांक 29.05.2002 को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के जरिये खाता सं0 नई 145 की सम्पूर्ण तथा खाता सं. दर्ज 274 की आराजी में दर्ज 1/4 हिस्सा सम्पूर्ण वादी को विक्रय कर विक्रय विलेख सजि रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीयन करवाकर आराजी पर कब्जा भी बेचान की सम्पूर्ण रकम प्राप्त कर वादी का करा दिया था। कानूनन वादी विक्रय विलेख पंजीयन होने के बाद उक्त वर्णित आराजी का खातेदार कृषक हो गया है।

उक्त वर्णित आराजी में माधो की मृत्यु के बाद उसके मात्र एक वारिस प्रभूलाल का नाम तो खाता सं0 145 में दर्ज कर दिया गया तथा खाता सं0 274 में आज भी 1/4 हिस्से में माधो का नाम दर्ज चला आ रहा है जबकि उक्त वर्णित दोनों खातो में माधो के स्थान पर वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना चाहिए था।

वादी ने प्रतिवादी कम 2 एवं उसके प्रतिनिधि पटवारी हलका से उक्त वर्णित आराजी के बाबत इन्तकाल दर्ज करवाने की कहने पर पटवारी हलका द्वारा उक्त वर्णित आराजी में माधो के स्थान पर उसके लडके प्रभूलाल का नाम दर्ज क[illegible] जाने से सक्षम न्यायालय में दावा करने की कहने से वादी के लिए यह आवश्यक हो गया [illegible] विवादित आराजी में रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के आधार पर आराजी अपने खाते दर्ज [illegible]वावे, जिसके लिए प्रस्तुत वाद प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होने से प्रस्तुत किया जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.07.01 13:44:14 IST
Reason: SelfAttested

अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादी डिकी किया जाकर निम्न आशय का आदेश पारित फरमाया जावें :–

ग्राम विनोदकलां तहसील सांगोद की खसरा नं. हाल 589 की 0.56 हैक्टर एवं

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की तलबी हो चुकी है। बावजूद सूचना न तो प्रतिवादीगण न ही उनके कोई अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। ऐसी परिस्थिति में वाद में तनकी कायम करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। तत्पश्चात वादी अधिवक्ता द्वारा एकतरफा बहस की गई एवं साक्ष्य के रूप में पंजीकृत विक्रय विलेख पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया तथा वाद वादी को स्वीकार पर अंतिम रूप से डिक्री करने की प्रार्थना की।

मेरे द्वारा वादी अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई, बसह पर गहनता से मनन किया गया। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई, संभवतः प्रतिवादीगण वाद में वर्णित तथ्यों से सहमत हैं। पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड, जमाबंदी, पंजीकृत विक्रय विलेख पत्र, बहस अधिवक्ता तथा अन्य दस्तावेजों का अवलोकन करने के उपरान्त मैं वाद स्वीकार किया जाने योग्य समझती हूँ। अतः वाद स्वीकार किया जाकर ओदश दिये जाते हैं कि–

ग्राम विनोदकलां तहसील सांगोद की खसरा नं. हाल 589 की 0.56 हैक्टर एवं खसरा नं0 590 की 0.16 हैक्टर में से 1/4 हिस्से का वादी शिवराज सिंह को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें। डिक्री परचा पृथक से जारी हो।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.07.01 13:44:14 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 26.02.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

फर्द डिकी मुकदमात इब्तदाई

आर.रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी

...जलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

...संख्या : 164/2020 तारीख दायरा 11.08.2020

उनवान

2. शिवराज सिंह उम्र 44 वर्ष पुत्र महिपत सिंह जाति चारण निवासी ग्राम विनोदकलां तह0 सांगोद जिला कोटा राजस्थान। – वादी

बनाम

3. प्रभूलाल पुत्र माधोलाल जाति माली निवासी ग्राम विनोदकलां तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
4. राजस्थान सरकार जरिये लेण्ड तहसीलदार सांगौद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान। – प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी. एक्ट 1955

...स्थित :–

श्री सत्येन्द्र कुमार गुप्ता (वकील वादी) दिनांक :– 26.02.2021

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.07.01 13:44:14 IST
Reason: SelfAttested

...ज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ सुश्री अंजना ...रावत (आर.ए.एस.) व ...जरी श्री सत्येन्द्र कुमार गुप्ता मिन जानिब मुदई रूबरू श्री ..... मिन जानिब मुददायल पेश ...कर आदेश दिया जाता है कि–

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.07.01 13:44:14 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 26.02.2021 को खुले न्यायालय में [illegible] सुनाया गया ।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद